

16 ⁰¹/₁₈


पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपर्युक्त श्वाभावस्था प्रवर्ग
पत्र जिस पीछेसून अधिकारी के विरुद्ध आरोप
लगाकर पेश किया है वह पीछेसून अधिकारी पिछले

31-12-17 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतः यह

^{शर्णापत्र}
श्वाभावस्था प्रवर्ग ही पत्रावली हो चुका है इस कारण
चलने योग्य नहीं है। अतः शर्णापत्र शर्णापत्र किया

जाता है। उभय पक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 14-2-18

को अधिकार्य न्यायालय उपर्युक्त अधिकारी करौली
में उपस्थित हो। अधिकार्य न्यायालय की पत्रावली
मिर्जापुर की प्रति के साथ निम्नवाही हो। पत्रावली
मिसल सुभाह सेक्टर न्याय लक्ष्मिण शरिफल देप्ट
है।


जिला कलक्टर
करौली